

:- आदेश :-

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे सम्मुख उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है एवं इस दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। उक्त दुरस्ती वस्तुतः लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्द्राज दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाने हेतु प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती राजस्व अभिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्द्राज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

पूर्व इन्द्राज				स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
क. स.	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा
1	2	3	4	5	6	7
1	बहादुरसिंह पुगजारीसिंह	173	34.04	सादरसिंह पुगजारीसिंह	173	34.04
	कोम साधुसिंह सा. डेह खोला	42	23.15	साधुसिंह सा. डेह खोला	42	23.15
	शेख सागरा कस्तूर (जगधारी)	76	71.00	शेख सागरा कस्तूर (जगधारी)	76	71.00
		233			233	
		76	1.05		76	1.05
		254			254	
		173	10.00		173	10.00

क्रमांक 11)  
प्रतिलिपि पाठनाथ :-

1. तहसीलदार डीडवाना।

उपखण्ड अधिकारी  
डीडवाना

दिनांक :

उपखण्ड अधिकारी  
डीडवाना

दिनांक :

क्रमांक :

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

1. पटवारी हल्का .....को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो निर्णयानुसार पालना सुनिश्चित करें।

तहसीलदार डीडवाना

